न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

अपील (प्रकरण) संख्या :– 24/2024 **जीसीएमएस नम्बर 2024/51**

उनवानी प्रकरण :–

लालसिंह पुत्र तोताराम निवासी ग्राम पिपरौन तहसील बसेडी जिला धौलपुर उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत पिपरौन 1/3 भाग (पोश मशीन नम्बर 18422) ------ अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी धौलपुर ---------- रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 20.8.2024 प्रकरण संख्या 11/2024 उनवानी सरकार बनाम लालसिंह, न्याया0 जिला रसद अधि0धौलपुर

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री रामबिहारलाल श्रीवास्तव एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट की ओर से :– सहायक लोक अभियोजक प्रथम

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

निर्णय **दिनांक 24.02.2025**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील जिला रसद अधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 20.08.2024 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत पिपरौन के कुछ व्यक्तियों द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व जिला रसद अधिकारी धौलपुर के समक्ष एक झूंठी शिकायत राशन वितरण नहीं करने बावत की गयी। उक्त शिकायत पर प्रवर्तन निरीक्षक श्री गजेन्द्र बाबू शर्मा द्वारा दिनांक 23.01.2024 को जांच की गई। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपने जांच रिपोर्ट में दुकान बन्द होना व नोटिस बोर्ड पर कोई सूचना नहीं लिखा जाना अंकित कर एवं महज शिकायतकर्ताओं से पूछताछ कर 11.30 क्विं. गेहूं का दुरूपयोग किये जाने की गलत रूप से जांच कर रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी धौलपुर के समक्ष पेश की गयी जिस पर जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने अपने कार्यालय आदेश क्रमांक रसद/अभि./2024/267 दिनांक 30.01.2024 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया गया एवं अपने कार्यालय के नोटिस क्रमांक 313 दिनांक 07.02.2024 को अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया उक्त नोटिस का जबाव अपीलान्ट की ओर विधिवत रूप से अन्दर मियाद बिन्दूवार जबाव जिला रसद अधिकारी धौलपुर को पेश किया गया लेकिन रेस्पो0 द्वारा झूंठी शिकायत व झूंठी जांच रिर्पोट के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 20.08.2024 को निरस्त किये

जिला कलक्टर
धौलपुर

जाने आदेश पारित कर दिया। उक्त आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है कि शिकायतकर्ता अपीलान्ट से चुनावी रंजिश रखते है इसलिये उन्होने रंजिश के आधार पर शिकायत में राशन वितररण नहीं करना अंकित करते हुये झूंठी शिकायत प्रस्तुत की। अपीलान्ट द्वारा माह अक्टूबर व नवम्बर 2023 में अन्नपूर्ण किट के साथ गेहॅू राशन का भी वितरण किया गया है लेकिन प्रवर्तन निरीक्षक ने बिना पोश मशीन का अवलोकन किये बिना शिकायतकर्ताओं की बात पर भरोसा करते हुये गलत रूप से अपीलान्ट की बैक पर जांच रिपोर्ट तैयार की गई है। अपीलान्ट द्वारा कथित गेहूं का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अपीलान्ट ने शिकायतकर्ताओं को गेहूं वितरण किया गया तथा पोश मशीन पर उनके अंगूठा लगवाये गये एवं पोश मशीन से निकली पर्ची के अनुसार पूरा-पूरा राशन गेहूं वितरण किया गया जिसका इन्द्रांज अपीलान्ट द्वारा संधारित रजिस्टर व पोश मशीन में दर्ज है लेकिन फिर भी रेस्पो0 द्वारा इस तथ्य पर गौर ना करते हुये अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र मनमाने तौर पर विधि विरूद्व निरस्त करने का आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गय है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट नोटिस बोर्ड पर सूचना लिखता है एवं पी0एम0जी0के0ए0बाई0 का बैनर बनवा कर दुकान के आगे लगाता है लेकिन दिनांक 23.01.2024 को अपीलान्ट की रिश्तेदारी में गमी हो गयी थी इसलिये जिसकी सूचना दुकान की दीवाल पर बने बोर्ड पर अपीलान्ट लिख गया था एवं पी0एम0जी0के0ए0बाई0 के बैनर को हवा आदि से फटने से बचाने के लिए दुकान के अन्दर रख गया था लेकिन अपीलान्ट के चले जाने के बाद किसी बच्चे ने उस सूचना को मिटा दिया गया एवं उसके बाद प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दुकान का निरीक्षण किया गया इसलिये निरीक्षण के दौरान प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में दुकान बन्द होना व नोटिस बोर्ड पर कोई सूचना नहीं लिखा जाना अंकित कर एवं महज शिकायतकर्ताओं से पूछताछ पर 11.30 क्वि. गेहूं का दुरूपयोग किये जाने की गलत रूप से जांच रिपोर्ट तैयार कर रेस्पो0 के समक्ष पेश की गयी। अपीलान्ट द्वारा खाधान्न सामग्री पात्र राशनकार्डधारियों को वितरण किया गया जिसका इन्द्रांज पोश मशीन व रजिस्टर में अंकित है। अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई विधि विरूद्व कार्य नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत पिपरौन के कई उपभोक्ताओं द्वारा अपने अपने शपथ शपथ तस्दीक कर दिये है जो इस अपील के साथ संलग्न है। अपीलान्ट ने अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय दिनांक 20.08.2024 निरस्त किये जाने एवं प्राधिकार पत्र को वहाल किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर अपील की पत्रावली के साथ संलग्न की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच रिर्पोट में अंकित आरोपों के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है।

जिला कलक्टर
धौलपुर

अपीलान्ट पर जो आरोप लगाये गये है वह निराधार है। अपीलान्ट द्वारा माह अक्टूबर व नवम्बर 2023 में अन्नपूर्ण किट के साथ गेहूँ राशन का भी वितरण किया गया है लेकिन प्रवर्तन निरीक्षक ने बिना पोश मशीन का अवलोकन किये बिना शिकायतकर्ताओं की बात पर भरोसा करते हुये गलत रूप से अपीलान्ट की बैक पर जांच रिपोर्ट तैयार की गई है। अपीलान्ट द्वारा कथित गेहूं का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अपीलान्ट ने शिकायतकर्ताओं को गेहूं वितरण किया गया तथा पोश मशीन पर उनके अंगूठा लगवाये गये एवं पोश मशीन से निकली पर्ची के अनुसार पूरा–पूरा राशन गेहूं वितरण किया गया जिसका इन्द्रांज अपीलान्ट द्वारा संधारित रजिस्टर व पोश मशीन में दर्ज है लेकिन फिर भी रेस्पो0 द्वारा इस तथ्य पर गौर ना करते हुये अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र विधि विरूद्व निरस्त करने का आक्षेपित आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। शिकायतकर्ताओं से पूछताछ पर 11.30 क्वि. गेहूं का दुरूपयोग किये जाने की गलत रूप से जांच रिपोर्ट तैयार कर रेस्पो0 के समक्ष पेश की गयी। अपीलान्ट द्वारा खाधान्न सामग्री पात्र राशनकार्डधारियों को वितरण किया गया जिसका इन्द्रांज पोश मशीन व रजिस्टर में अंकित है। अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई विधि विरूद्व कार्य नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत पिपरौन के कई उपभोक्ताओं द्वारा अपने अपने शपथ पत्र तस्दीक कर दिये है जो इस अपील के साथ संलग्न है। अपीलान्ट के द्वारा चार्ज हस्तांतरण में अवशेष 12.29 क्वि. गेहूं अटेचमेन्ट डीलर को संभलवाया जा चुका है। अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप आधारहीन है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे एवं प्राधिकार पत्र को वहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

रेस्पोडेण्ट एवं उनकी ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक प्रथम ने अपनी बहस के दौरान अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुये कथन किया कि मौके पर उचित मूल्य दुकान बिना किसी सूचना के बंद होना तथा पी0एम0जी0के0ए0बाई0 को बैनर लगा हुआ नहीं होना एवं राशन डीलर का अनुपस्थित होना पाया गया है। इस सम्बध में अपीलान्ट ने अपने स्पष्टीकरण में जो कारण अंकित किया है वह यथोचित नहीं है। मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं द्वारा माह अक्टूबर एवं नवम्बर 2023 में उचित मूल्य दुकानदार लालसिंह द्वारा केवल अन्नपूर्ण किट वितरण करना एवं गेहूं वितरण नहीं करना बताया है। राशन डीलर द्वारा गेहूं 11.30 क्वि. का दुरूपयोग किया है। अपीलान्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लधन करने के कारण अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो सही है। अतः अपीलान्ट की अपील निरस्त फरमाई जावे।

हमने विद्धान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 20.08.2024 के विरूद्व पेश की है। जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने अपने उक्त आदेश में मुख्य रूप से अपीलान्ट लालसिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत पिपरौन 1/3 भाग (पोश मशीन नम्बर 18422) तहसील वसेडी का प्राधिकार पत्र इस आधार पर निरस्त किया है कि अपीलान्ट द्वारा राशन वितरण में अनियमितताऐं कर कुल गेहूं 11.30 क्वि. उपभोक्ताओं के

जिला कलक्टर
धौलपुर

अंगूठा पॉश मशीन पर लगवाये जाने के बावजूद नहीं दिया जाना तथा वैकल्पिक उचित मूल्य दुकानदार को मुताविक रिकार्ड 12.25 क्वि. गेहूं हस्तान्तरित नहीं किया जाना अंकित करते हुये प्राधिकार पत्र निरस्त किया है। इस सम्बध में अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा खाधान्न सामग्री पात्र राशनकार्डधारियों को वितरण किया गया जिसका इन्द्रांज पोश मशीन व रजिस्टर में अंकित है। ग्राम पंचायत पिपरौन के कई उपभोक्ताओं द्वारा अपने अपने शपथ पत्र तस्दीक कर अपील के साथ प्रस्तुत किये है जिसमें यह अंकित है कि माह अक्टूवर व नवम्बर 2023 का राशन उनके परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त किया गया है। वैकल्पिक उचित मूल्य दुकानदार को मुताविक रिकार्ड 12.25 क्वि. गेहूं हस्तान्तरित नहीं किये जाने के सम्बध में रेस्पोडेन्ट की ओर से श्रीमती समीक्षा दिनकर प्रवर्तन अधिकारी धौलपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 24.02.2025 के अनुसार जरिये वकील अपीलान्ट लालसिंह के द्वारा कार्यालय में जमा कराई गइ चार्ज हस्तांतरण की फोटोप्रति के अनुसार कुल अवशेष 12.29 क्वि. गेहूं की रिकवरी के एवज में कुल 12.22 क्विं गेहूं उपलब्ध कराया जा चुका है। इस प्रकार अपीलान्ट लालसिह पर कुल रिकवरी जो 114.29 क्वि. थी को तीन वार अटैच किये गये उचित मूल्य दुकानदारों को दिया जा चुका है। वर्तमान में अपीलान्ट लालसिंह पर कोई रिकवरी शेष नहीं होना रिपोर्ट में अंकित किया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील, अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.08.2024 निरस्त किया जाता है तथा अपीलान्ट लालसिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत पिपरौन 1/3 भाग (पोश मशीन नम्बर 18422) का प्राधिकार पत्र वहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी धौलपुर को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफत्र हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर